# MWPSC अधिनियिम, 2007 के तहत संपत्ति की बहाली

**स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स**

**माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियिम, 2007** पर उच्चतम **न्यायालय के** हालिया फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यदि बच्चे अपने देखभाल संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतते हैं तो न्यायाधिकरण माता-पिता को संपत्ति लौटाने के लिये सशक्त हो सकते हैं।

- **MWPSC अधिनियिम 2007 की धारा 23** न्यायाधिकरणों को संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने की अनुमति देती है, यदि **हस्तांतरितिकर्त्ता सहमत बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने में विफल रहता है।**
  - यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इन अधिकारों को लागू नहीं कर सकता, तो एक अधिकृत संगठन (ट्रिब्यूनल) उनकी ओर से कार्य कर सकता है।
- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा प्रशासित MWPSC अधिनियिम 2007, वृद्ध नागरिकों को वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, तथा यदि वे स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं तो उन्हें **बच्चों या विधिक उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग करने की अनुमति देता है।**
- **MWPSC अधिनियिम की मुख्य विशेषताएँ:** इस अधिनियिम को कुशल प्रसंस्करण के लिये ज़िला और उप-मंडल स्तर पर **न्यायाधिकरणों एवं अपीलीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से लागू किया जाता है।**
- **न्यायाधिकरण भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकते हैं या कारावास का आदेश दे सकते हैं।**

- देखभालकर्त्ताओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को त्यागने पर जुर्माना या 3 माह तक कारावास हो सकता है।

**और पढ़ें...** **वृद्धजनों के अधिकारों की सुरक्षा**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/property-restoration-under-mwpsc-act-2007